BAIF INSTITUTE FOR SUSTAINABLE LIVELIHOODS AND DEVELOPMENT

State Office: Bihar
House No. A/115, Park Road, P.O. Ashiana Nagar, Patna
Patna 800025
Telephone: 0612-2292486

INVITATION FOR QUOTATION

To Date: 03-04-2026

____
____
____
____

Dear Sir / Madam,

Sub.: **INVITATION FOR QUOTATION FOR "Input Transportation Vehicle Hire"**

You are invited to submit your most competitive quotation for the following Service:

Brief description of the Service	Specifications	Requirement	Delivery period	Location of Service
Input Transportation Vehicle Hire	Vehicle hiring on per km basis - Mahindra Pickup (Detail as enclosed in Annexure 1)	23,000 km per month. Approx. 2.76 lakh km annually. Subject to change as per actual demand.	Monthly as per our requirement	For Input supply across Bihar.

Detailed description: As above

1. **Quoted Price:**
   a. The offer shall be for full quantity as described above. Corrections, if any, shall be made by crossing out, initialing, dating and re-writing.
   b. The party shall quote for services in the attached format of quotation.
   c. All duties, taxes and other levies payable on the raw materials and components shall be included in the total price.
   d. The rates quoted by the party shall be fixed for the duration of the contract and shall not be subject to adjustment on any account.
   e. Delivery and transportation at the cost of the party.
   f. The prices shall be quoted in Indian Rupees only.

2. Each party must submit only one **SEALED** quotation. Party shall not contact other parties in matters related to this quotation.

3. Validity of Quotation

The quotation shall remain valid for a period not less than 30 days after the deadline fixed for submission of quotations.

4. **Evaluation of Quotations**

a. BAIF will evaluate and compare the quotations determined to be substantially responsive i.e. which are properly signed and conform to the terms & conditions and specifications.
b. The evaluation would be done for all the services put together or separately as feasible. The items for which no rates have been quoted would be treated as zero and the total amount would be computed accordingly.
c. List of similar works undertaken with details of clients etc. if any, should be provided.
d. Contract will be awarded to the responsive party/parties based on technical-cum-commercial grounds.

5. **Award of contract**

a. The contract will be awarded to the party/parties whose quotation has been determined to be substantially responsive and technical specifications and commercial terms best suited to the requirement. BAIF, prior to the expiry of the validity period of the quotation, will notify the party/parties whose quotation has been accepted for the award of contract. The terms of the accepted offer shall be incorporated in the Service Order. Quotations shall include GST & PAN Numbers.
b. Notwithstanding the above, BAIF reserves the right to accept or reject any quotation and to cancel the procurement process and reject all quotations any time prior to the award of the contract.
c. Rate contract can be entered into for subsequent procurement. Service may be given partially and in multiple slabs.
d. The party/parties are bound to abide by the Organization’s Internal Committee guidelines.

6. Normal commercial guarantee / warranty shall be applicable to the supplied goods.

7. Payment terms: After delivery within 15 days by cheque / electronic transfer on receipt of invoice.

8. Queries pertaining to specifications and scope, if any, may be clarified by contacting the undersigned during office hours.

9. You are requested to provide your offer **on or before** 20-04-2026 in the name of **BAIF Livelihoods – Bihar** only at the above address. Please super scribe the Subject on the envelope.

10. We look forward to receiving your quotations and thank you for your interest in this project.

BAIF Institute for Sustainable Livelihoods and Development

Authorised signatory

नाइट्रोजन वाहन संचालन आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें

1. संस्था को वर्तमान में 6 से 7 वाहन (महिन्द्रा पिकअप) की आवश्यकता है। वाहन अच्छे कन्डीशन में होना चाहिए। जिससे द्रव्य नत्रजन की सप्लाई प्रभावित न हो।
2. कोटेशन प्रति किमी की दर से टैक्स के साथ एवं टैक्स के अलग–अलग स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
3. द्रव्य नत्रजन अति आवश्यक साम्रगी है जिसे अनिवार्य रूप से प्रतिमाह वितरण कराया जाना है। अतः इसमें किसी भी प्रकार वाहन की अनोपलब्धता मान्य नहीं है। अतः वाहन नही उपलब्ध होने की दशा में अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
4. वाहन में औसतन 1 से 2.5 टन वजन होगा। समस्त वाहनों के टायर उच्च गुणवत्ता का होना अनिवार्य होगा।
5. वाहन के द्वारा, सीमेन, नाइट्रोजन एवं पशु आहार वितरण हेतु प्रतिमाह एक वाहन लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। संस्था के कुछ केन्द्र ऐसे स्थानों पर है, जहाँ कुछ मार्ग कच्चा है परन्तु आवागमन में है। अतः इन केन्द्रों पर वाहन भेजनें में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
6. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी। संस्था प्रबंधन चाहे तो अनुबन्ध की अवधि में कमी या वृद्धि कर सकता है।
7. वाहन पर कन्टेनर की सुरक्षा हेतु त्रिपाल, पीछे के पट्टे/शटर/ जालीदार गेट, गदद् आदि उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
8. वाहन मे डबल डेकर होगा जिसमें कि नाइट्रोजन कन्टेनर 5 से 6 रखा जा सके, इसे बनाने में जो भी खर्च होगा उसका व्यय वाहन मालिक के द्वारा किया जाऐगा।
9. वाहन हेतु भुगतान किया गया समस्त टोल टैक्स वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा। संस्था द्वारा केवल राज्य से बाहर भेजे जाने पर देय टोल टैक्स एवं टी०पी० की मूल सरकारी रसीद उपलब्ध कराने पर धनराशि दिये जाने वाले भुगतान के साथ ही प्रदान की जाएगी।
10. वाहन चलाते समय किसी प्रकार का नशा नहीं किया जाएगा। ड्राइवर के नशे के कारण होनेवाले नुकसान की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी। ड्राइवर वाहन को संस्था के प्रतिनिधि के दिशा निर्देशानुसार ही संचालन करेगी तथा कंटेनर उतारने –चढाने में संस्था के प्रतिनिधि की मद्द भी करेगा। ड्राइवर, वाहन संचालक से संबधित किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर मुख्य कार्यालय से सम्पर्क करेगा। ड्राइवर संस्था के प्रतिनिधि से किसी भी प्रकार वाद– विवाद नहीं करेगा।
11. संस्था के कंटेनर आदि के अलावा वाहन में बाहरी किसी भी प्रकार का सामान नहीं रखा जाएगा एवं किसी भी बाहरी सवारियों को नही बैठाया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाएगा तो अनुबन्ध रद्द कर दिया जाएगा।
12. वाहन में यदि कोई गैरकानूनी सामान पाया गया तो इसकी जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।
13. ड्राइवर के लाइसेन्स, बीमा, आर०सी० बुक, रोड परमिट आदि सभी कागजात रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी तथा उसकी एक कॉपी राज्य कार्यालय में देनी होगी। इसके साथ वाहन मालिक का पैन कार्ड की हस्ताक्षतित छाराप्रति भी कार्यालय में जमा करना होगा।
14. वहन के इजन, मोबील, पत्ति आदि का पूर्ण कार्य एवं टैक्स, इन्सोरेन्स, रोड परमिट आदि सभी कागजात पूर्ण रखने की समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। यदि किसी कारण वश वाहन

जब्त हो जाती है। तो समस्त साम्रगी को दूसरे गाडी में शिफ्ट करा कर गणतव्य स्थान तक पहुँचने का सम्पूर्ण दायित्व वाहन मालिक का होगा तथा किसी भी प्रकार की वाहन में टूट–फूट एवं रिपेयरिंग की जिम्मेवारी वाहन मालिक की होगी।

15. चयनित फर्म द्वारा सम्पन्न होने पर बिल जमा करने के 15 दिन के अन्दर RTGS/Cheque के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। यदि बिल में किसी भी प्रकार की त्रुटी नहीं है। किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि प्रावधानित नही हो।
16. अनुबन्ध एक वर्ष के लिए निष्पादित होगा। यदि डीजल मूल्य में वृद्धि या कमी होती है तो पिकअप 10 से भाग देकर प्रति किमी की दर प्रत्येक तीन माह वर आकंलन कर वृद्धि या कमी की जाएगी। अन्यथा पूर्व में निर्धारित दर पर ही वाहनों का संचालन जारी रहेगा।
17. आयकर अधिनियम के तहत टी०डी०एस० की कटौती वाहन मालिक के प्रत्येक बिल से की जाएगी। तथा वाहन मालिक द्वारा दिये गये बिल पर GST न० अथवा धोषणा पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विक्रेता से विक्रेता का क्रय संबंधी मापदण्ड अवश्य ही पूरा होना चाहिए।
18. वाद–विवाद फैसला पटना न्यायालाय में होगा तथा उसका सारा खर्च वाहन मालिक को वहन करना होगा।
19. अनुबन्ध हेतु स्टांप शुल्क का वहन वाहन मालिक द्वारा किया जाएगा।